

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 03/2024

आई0आई0एफ0एल0 होम फाईनेन्स लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय आईआईएफएल हाउस, सन इन्फोटेक पार्क, रोड नं. 16 वीं, प्लॉट नं0 बी-23, थाणे इन्डस्ट्रीयल एरिया वागले एस्टेट, थाणे- 400604 व शाखा कार्यालय: चौथा फ्लोर, विनायक हार्टस, गौतम मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर राज0 302021 जरिये प्रधिकृत अधिकारी रामप्रसाद शर्मा।

...प्रार्थी कंपनी

बनाम



- 1- **Mr. Ramawatar Meena, Girdharpura, Baniyana, Dausa Rajasthan Govt. School Dausa-303303 Rajasthan**
Also at. Khasra No.300 Near to Baniyana, Govt. School Situated in Village Girdharpur Distt. Dausa-303303 Rajasthan (ऋणी व बंधककर्ता)
- 2- **Mrs. Rambaii, Khasra No.300 Near to Baniyana, Govt. School Situated in Village Girdharpur Distt. Dausa-303303 Rajasthan**
Also at. Girdharpura, Baniyana, Dausa Rajasthan Govt. School Dausa-303303 Rajasthan (सहऋणी)
- 3- **Mr. Shiv Baks meena, Khasra No.300 Near to Baniyana, Govt. School Situated in Village Girdharpur Distt. Dausa-303303 Rajasthan**
Also at. Girdharpura, Baniyana, Dausa Rajasthan Govt. School Dausa-303303 Rajasthan (सहऋणी)
- 4- **Dairy (Through its proprietor/Authorised Signatory/ Managing Director) Girdharpura, Baniyana, Dausa - 303303 Rajasthan**
Also at. Property Comprised in Khasra No.300 Near to Baniyana, Govt. School Situated in Village Girdharpur Distt. Dausa-303303 Rajasthan (सहऋणी)

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित : श्री विजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 28 .02.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी आई0आई0एफ0एल0 होम फाईनेन्स लि0 ने अप्रार्थी/ऋणी को 5,10,547/- (रूपये पांच लाख दस हजार पांच सौ सैंतालीस मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नॉन-पेजारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

जिला कलेक्टर, दौसा निरंतर 2 पर

अधिवक्ता प्रार्थी आई0आई0एफ0एल0 होम फाईनेन्स लि0 को सुना गया। हमने प्रार्थी आई0आई0एफ0एल0 होम फाईनेन्स लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी आई0आई0एफ0एल0 होम फाईनेन्स लि0 को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति **Property Comprised in Khasra No.300 Near to Baniyana, Govt. School Situated in Village Girdharpur,Kanvarpura Distt. Dausa-303303 Rajasthan (admeasuring Land Area 1935 Sq.Ft. Carpet Area 1084 Sq.Ft. Built Up Area 1355 Sq.Ft.)** जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी आई0आई0एफ0एल0 होम फाईनेन्स लि0को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा